राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 5(36)ग्रावि/नरेगा/पीआरसी/105410/2016–17 जयपुर, दिनांक : 22 JUL 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **पी.आर.सी. की बैठक दिनांक 15.07.2016 के निर्देशों की पालना बाबत।**

महोदय,

सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षात्मक बैठक दिनांक 15.07.2016 को आयोजित की गयी। बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिए गए :–

1. **कार्यो की पूर्णता** :– योजना के प्रारम्भ से वर्ष 2014–15 तक प्रगतिरत रहे कार्यो की पूर्णता दिनांक 15.08.2016 तक सुनिश्चित की जावे अन्यथा केन्द्र सरकार द्वारा राशि का आवंटन किया जाना संभव नही हो सकेगा।

2. **समयबद्व भुगतान एवं विलम्बित भुगतान मुआवजा** :– महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार कार्य समाप्ति के 15 दिवस में भुगतान किया जाना अनिवार्य है अन्यथा विलम्ब होने की स्थिति में विलम्बित भुगतान मुआवजा नियमानुसार देय है। गत वर्षो के समस्त प्रकार के भुगतान दिनांक 22.07.2016 तक आवश्यक रूप से कर दिये जावे। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान समयबद्व भुगतान सुनिश्चित किया जावे एवं विलम्ब होने पर विलम्बित भुगतान मुआवजा का भुगतान भी तुरन्त किया जावे। विलम्बित भुगतान मुआवजा समय पर नही दिये जाने पर इस पर भी विलम्बित भुगतान मुआवजा देय है।

3. **ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति** :– मंत्रालय द्वारा श्रम बजट 2016–17 के अनुमोदन के समय आंगनबाडी निर्माण, फार्म पौण्ड/टांका निर्माण, वर्मी/नदीप कम्पोस्ट पिट तथा सडक किनारे पौधारोपण के कार्यो के लक्ष्य निर्धारित किये गये है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा ''मुख्यमंत्री ग्राम स्वच्छ अभियान'', आंगनबाडी निर्माण, ''मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास योजना'', खाद्य गोदाम, मुक्तिधाम विकास योजना, कैटल शेड निर्माण के तहत भी कार्यो के लक्ष्य निर्धारित किये गये है। लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने हेतु कार्यो की सघन मॉनिटरिंग की जावे एवं यह दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जावे।

4. **व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य** :– योजनान्तर्गत अधिक से अधिक व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य कराए जाने का प्रयास किया जावे ताकि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में वर्णित पात्र परिवारों की आजीविका में वृद्वि हो। राजीविका के तहत गठित स्वयं सहायत समूहों के परिवारों को भी इससे जोडा जावे।

5. **प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन से संबन्धित कार्य** :– महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार योजनान्तर्गत लागत की दृष्टि से कम से कम 60 प्रतिशत कार्य

भूमि, जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से कृषि एवं तत्संबन्धी कार्यो से प्रत्यक्ष रूप से जुडी उपयोगी परिसम्पतियों के निर्माण के लिए किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु अधिनियम में वर्णित श्रेणी अ एवं ब के तहत वर्णित कार्य अधिक से अधिक कराए जावे ताकि लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

6. **मंत्रालय द्वारा जारी परिसम्पति रजिस्टर संधारण** :– मंत्रालय द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित की जा रही परिसम्पतियों के निर्माण के लेखा–जोखा संधारण हेतु ''परिसम्पति रजिस्टर'' का प्रपत्र जारी किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर इसी प्रपत्र में ''परिसम्पति रजिस्टर'' का संधारण सुनिश्चित किया जावे।

7. **कार्यस्थल पर सूचना पट्ट** :– महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार कार्यस्थल पर कार्य से संबन्धित सूचनाओं को दर्शाते हुए सूचना पट्ट लगाया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार कार्यस्थल पर छाया, पीने का स्वच्छ पानी, प्राथमिक चिकित्सा संबन्धी दवाईयां तथा बच्चों के लिए क्रैच की सुविधा उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचना तथा निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर इनका अभाव पाया जाता है। उक्त सभी व्यवस्थाएं कार्यस्थल पर सुनिश्चित की जावे।

8. **जॉबकार्ड का सत्यापन एवं अद्यतन** :– योजनान्तर्गत जॉबकार्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जॉबकार्ड में सदस्यों से संबन्धित सभी सूचनाओं का सत्यापन समय–समय पर किया जाकर एम.आई.एस. पर दुरूस्त किया जावे। इसी प्रकार जॉबकार्ड में रोजगार एवं भुगतान का सम्पूर्ण विवरण अद्यतन किया जाना भी सुनिश्चित किया जावे।

9. **शून्य व्यय वाली पंचायतें** :– राज्य में ऐसी 56 ग्राम पंचायतें है जिनमें आदिनांक तक कोई व्यय नही किया गया है। इन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रोजगार की मांग का आंकलन किया जाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि रोजगार की आवश्यकता वाले सभी परिवारों को नियमानुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

कृपया उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस